पोवानम्मल

बनाम

तमिलनाडु राज्य तथा एक अन्य

15 जनवरी, 1999

[के. टी. थॉमस, डी.पी. वाधवा था एस.एस.एम. कादरी, न्यायमूर्तिगण]

आपराधिक विधि :

तमिलनाडु अवैध मद्य-व्यापारियों, मादक द्रव्य-अपराधियों, वन-अपराधियों, गुंडों, अनैतिक व्यापार-अपराधियों तथा झुग्गी-अतिक्रमणकारियों की संकटापन्न गतिविधियों का निवारण अधिनियम, 1982 : धारा 3।

निवारक निरोध—के आधार—का संसूचन—दस्तावेजों की भाषा—की आपूर्ति—निरोध आदेश, निरुद्ध व्यक्ति को उस दिन तामील किया गया था जब वह तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम की धारा 4(1)(i) तथा 4(1-ए) के अधीन दाखिल एक वाद में न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित थी—निरोध को इस आधार पर चुनौती दी गई कि निरुद्ध व्यक्ति को प्रभावी अभ्यावेदन करने के अधिकार से वंचित किया गया क्योंकि निरोध के आधारों में अवलंबित न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण का आदेश अंग्रेज़ी में पारित किया गया था किन्तु उस दस्तावेज का तमिल संस्करण उसे आपूर्ति नहीं किया गया, यद्यपि उसने उसका विशेष रूप से अनुरोध किया था क्योंकि वह अंग्रेज़ी नहीं जानती थी—अभिनिर्धारित किया : निरोध के आधारों में अवलंबित दस्तावेजों की प्रतियाँ निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी भाषा में आपूर्ति की जानी चाहिए जो उसके द्वारा समझी जाती हो—तथापि, ऐसे दस्तावेज की अनापूर्ति के वाद में जिसका केवल निरोध आदेश में उल्लेख मिलता है, निरोध आदेश को चुनौती देते समय निरुद्ध व्यक्ति को यह प्रदर्शित करना होगा कि उसे क्या प्रतिकूल प्रभाव हुआ—वाद की परिस्थितियों में, प्रतिप्रेषण आदेश के तमिल संस्करण की अनापूर्ति निरुद्ध व्यक्ति के निरंतर

निरोध को अवैध बना देती है—तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम, 1937, धारा 4(1)(i) तथा 4(1-ए)।

अपीलकर्ता की माता, तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम, 1937 की धारा 4(1)(i) तथा 4(1-ए) के अधीन दाखिल एक वाद के संबंध में न्यायिक प्रतिप्रेषण में थी, जब तमिलनाडु अवैध मद्य-व्यापारियों, मादक द्रव्य-अपराधियों, वन-अपराधियों, गुंडों, अनैतिक व्यापार-अपराधियों तथा झुग्गी-अतिक्रमणकारियों की संकटापन्न गतिविधियों का निवारण अधिनियम, 1982 की धारा 3 के अधीन उसे निरोध आदेश तामील किया गया था। निरुद्ध व्यक्ति ने अपने निरोध को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की, जिसे निरस्त कर दिया गया। अतः यह अपील।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि निरुद्ध व्यक्ति को प्रभावी अभ्यावेदन करने के अधिकार से वंचित किया गया क्योंकि निरोध के आधारों में अवलंबित न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषण का आदेश अंग्रेज़ी में पारित किया गया था, किन्तु उस दस्तावेज का तमिल संस्करण निरुद्ध व्यक्ति को आपूर्ति नहीं किया गया था, यद्यपि उसने उसका विशेष रूप से अनुरोध किया था क्योंकि वह अंग्रेज़ी का सर्वथा ज्ञान नहीं रखती थी और इसलिए निरुद्ध व्यक्ति को प्रतिकूल प्रभाव हुआ था।

उत्तरदाता की ओर से यह तर्क किया गया कि चूँकि निरोध के आधारों तथा उक्त दस्तावेज का तमिल में अनुवाद किया गया था तथा निरुद्ध व्यक्ति को तमिल में समझाया गया था, इसलिए प्रतिप्रेषण आदेश के तमिल संस्करण की अनापूर्ति के कारण प्रभावी अभ्यावेदन करने में उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ था।

अपील को अनुज्ञात करते हुए, इस न्यायालय ने

(न्यायमूर्ति कादरी द्वारा, स्वयं तथा न्यायमूर्ति थॉमस की ओर से)

अभिनिर्धारित किया : 1.1 अनुच्छेद 22(5) में निहित संरक्षण का विस्तार केवल निरोध के आधारों तथा उनके समर्थन में सामग्री की निरुद्ध व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मौखिक व्याख्या तक ही नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिलिपि ऐसे लिपि अथवा भाषा में आपूर्ति किए जाने तक भी है जो निरुद्ध व्यक्ति द्वारा समझी जा सकती हो। ऐसा करने में विफलता, आधारों के संसूचित किए जाने के अधिकार तथा आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किए जाने के अधिकार से वंचित किए जाने के समतुल्य होगी। [108-जी-एच; 109-ए]

हादीबंधु दास बनाम जिला मजिस्ट्रेट, कटक, [1969] 1 एस.सी.आर. 227, पर अवलंबन किया गया।

1.2 तथापि, ऐसे दस्तावेज के बीच, जिस पर निरोध प्राधिकारी द्वारा निरोध के आधारों में अवलंबन किया गया है, तथा ऐसे दस्तावेज के बीच, जिसका निरोध के आधारों में मात्र उल्लेख मिलता है, एक भेद है। जहाँ निरोध के आधारों में अवलंबित दस्तावेज की प्रति की अनापूर्ति को निरंतर निरोध के लिए घातक अभिनिर्धारित किया गया है, वहाँ निरुद्ध व्यक्ति को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। इसका कारण यह है कि ऐसे दस्तावेज की अनापूर्ति, आधारों के संसूचित किए जाने के अधिकार तथा आदेश के विरुद्ध प्रभावी अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किए जाने के अधिकार से वंचित किए जाने के समतुल्य होगी। किन्तु स्थिति ऐसी नहीं होगी जहाँ दस्तावेज का मात्र निरोध आदेश में अथवा उसके आधारों में उल्लेख मिलता हो। ऐसे वाद में, दस्तावेज की अनापूर्ति के संबंध में निरुद्ध व्यक्ति की शिकायत का समर्थन, प्रभावी अभ्यावेदन करने में उसे हुए प्रतिकूल प्रभाव द्वारा किया जाना आवश्यक है। जो किसी दस्तावेज पर लागू होता है, वही दस्तावेज की अनूदित प्रति उस भाषा में उपलब्ध कराए जाने पर भी समान रूप से लागू होगा जो निरुद्ध व्यक्ति को ज्ञात तथा उसके द्वारा समझी जाती हो, यदि दस्तावेज किसी भिन्न भाषा में हो। [109-बी-डी]

2. वर्तमान वाद में, अपीलकर्ता ने प्रतिप्रेषण आदेश की प्रति के तमिल संस्करण की आपूर्ति के लिए एक अभ्यावेदन किया है तथा विशेष रूप से कथित किया है कि निरुद्ध व्यक्ति अंग्रेज़ी भाषा को समझ नहीं सकती थी। निर्विवाद रूप से, प्रतिप्रेषण आदेश का तमिल संस्करण उसे उपलब्ध नहीं कराया गया था। आधारों के अवलोकन से यह प्रदर्शित होता है कि द्वितीय उत्तरदाता द्वारा आत्मनिष्ठ संतुष्टि तक पहुँचने के लिए प्रतिप्रेषण आदेश पर अवलंबन किया गया था और इसलिए प्रतिप्रेषण आदेश के तमिल संस्करण की अनापूर्ति के कारण उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव हुआ, यह निरुद्ध व्यक्ति को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः, तथ्यों तथा परिस्थितियों में, अंग्रेज़ी दस्तावेज के तमिल संस्करण की अनापूर्ति उसके निरंतर निरोध को अवैध बना देती है। [111-एफ-एच]

चाजू राम बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य, **[1970] 1 एस.सी.सी. 536**; *एम.एस.टी. एल.एम.एस. उम्मू सलीमा बनाम श्री बी.बी. गुजराल,* **[1981] 3 एस.सी.सी. 317**; *प्रकाश चन्द्र मेहता बनाम केरल सरकार के आयुक्त तथा सचिव,* ए.आई.आर. **(1986) एस.सी. 687**; *मदन लाल आनंद बनाम भारत संघ,* **ए.आई.आर. (1990) एस.सी. 176** तथा *कमरुन्निस्सा बनाम भारत संघ,* **ए.आई.आर. (1991) एस.सी. 1640**, अप्रयोज्य अभिनिर्धारित किए गए।

(न्यायमूर्ति वाधवा द्वारा, भिन्न मत)

1. निरोध के आधार प्रदर्शित करते हैं कि निरोध प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत था कि निरुद्ध व्यक्ति प्रतिप्रेषण पर थी तथा उसके जमानत पर मुक्त किए जाने की संभावना थी और ऐसे वादों में न्यायालयों द्वारा सामान्यतः जमानत प्रदान की जाती है तथा जमानत पर मुक्त किए जाने पर उसके द्वारा प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न होने की संभावना थी। यह स्थिति नहीं है कि तमिलनाडु अवैध मद्य-व्यापारियों, मादक द्रव्य-अपराधियों, गुंडों, वन-अपराधियों, अनैतिक व्यापार-अपराधियों तथा झुग्गी-अतिक्रमणकारियों की संकटापन्न गतिविधियों का निवारण अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के निरोध आदेश का आधार प्रतिप्रेषण आदेश था। [112-सी-जी]

2. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि निरुद्ध व्यक्ति को प्रतिप्रेषण आदेश की प्रति की आपूर्ति किया जाना आवश्यक नहीं था तथा प्रतिप्रेषण आदेश के तमिल अनुवाद की अनापूर्ति के कारण निरुद्ध व्यक्ति को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। किसी भी स्थिति में, प्रतिप्रेषण आदेश को आधारों में पुनरुत्पादित किया गया था, जिन्हें निर्विवाद रूप से निरुद्ध व्यक्ति को तमिल में उपलब्ध कराया गया था तथा उसे समझाया भी गया था। इसलिए, बहुमत द्वारा ग्रहण किए गए इस दृष्टिकोण से सहमत होना संभव नहीं है कि निरुद्ध व्यक्ति का निरोध शून्य है तथा उसे निरस्त किया जाना चाहिए। [114-बी; 116-ए-बी]

प्रकाश चन्द्र मेहता बनाम केरल सरकार के आयुक्त तथा सचिव, **[1985] अनुपूरक एस.सी.सी. 144, पर अवलंबन किया गया।**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1999 की आपराधिक अपील सं. 35

1998 की एच.सी.पी. सं. 659 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 5.10.98 के निर्णय तथा आदेश से।

के.के. मणि, अपीलकर्ता की ओर से।

एन. नटराजन तथा वी.जी. प्रगासम, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय के निर्णय निम्नांकित के द्वारा प्रदत्त किए गयाः

न्यायमूर्ति कादरी अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलकर्ता निरुद्ध व्यक्ति, श्रीमती लक्ष्मी की माता है, जिसे द्वितीय उत्तरदाता द्वारा तमिलनाडु अवैध मद्य-व्यापारियों, मादक द्रव्य-अपराधियों, वन-अपराधियों, गुंडों, अनैतिक व्यापार-अपराधियों तथा झुग्गी-अतिक्रमणकारियों की संकटापन्न गतिविधियों का निवारण अधिनियम, 1982 (संक्षेप में, "तमिलनाडु अधिनियम 14, 1982") की धारा 3 के अधीन पारित आदेश सं. बी.डी.एफ.जी.आई.एस. सं. 38/98 दिनांक 12 अप्रैल, 1998 द्वारा निरुद्ध किया गया था। उक्त आदेश को चुनौती देने हेतु संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका, एच.सी.पी. सं. 659/1998 में, मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उसकी

चुनौती असफल रहने पर, वह उक्त याचिका को निरस्त करने वाले उच्च न्यायालय के दिनांक 5 अक्टूबर, 1998 के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति द्वारा हमारे समक्ष है।

द्वितीय उत्तरदाता द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को इस आधार पर निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया था कि वह उक्त अधिनियम के अर्थ में एक अवैध मद्य-व्यापारी थी तथा लोक स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न थी। उसने तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम, 1937 की धारा 4 के अधीन दाखिल चार वादों का उल्लेख किया, जिनमें उसे दोषी पाया गया था तथा दो वादों में 250 रुपये और दो वादों में 350 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया था। जिस दिन उसे आक्षेपित निरोध आदेश तामील किया गया था, उस दिन वह तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम, 1937 की धारा 4(1)(i) तथा 4(1-ए) के अधीन दाखिल एक वाद के संबंध में न्यायिक प्रतिप्रेषण में थी, जो इस अभिकथन पर दाखिल किया गया था कि वह बोतलों में ऐसे द्रव का विक्रय कर रही थी जिसमें क्लोरल हाइड्रेट 99.2 मि.ग्रा.% भार/आयतन था, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. मणि द्वारा हमारे समक्ष आग्रह किया गया एकमात्र आधार यह है कि निरुद्ध व्यक्ति को प्रभावी अभ्यावेदन करने के अधिकार से वंचित किया गया क्योंकि निरोध के आधारों में द्वितीय उत्तरदाता द्वारा अवलंबित, निरुद्ध व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करने वाला दिनांक 5.4.1998 का आदेश अंग्रेज़ी में पारित किया गया था, किन्तु उस दस्तावेज का तमिल संस्करण उसे उपलब्ध नहीं कराया गया, यद्यपि उसने उसका विशेष रूप से अनुरोध किया था क्योंकि वह अंग्रेज़ी का सर्वथा ज्ञान नहीं रखती थी।

तमिलनाडु राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन. नटराजन ने तर्क किया कि चूँकि निरोध के आधारों तथा उक्त दस्तावेज का तमिल में अनुवाद किया गया था तथा निरुद्ध व्यक्ति को तमिल में समझाया गया था, इसलिए प्रतिप्रेषण आदेश का तमिल संस्करण

उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण प्रभावी अभ्यावेदन करने में उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ था।

हमारे विचारार्थ उपस्थित संक्षिप्त प्रश्न यह है कि अंग्रेज़ी में पारित प्रतिप्रेषण आदेश, जो निरुद्ध व्यक्ति को ज्ञात नहीं थी, के तमिल संस्करण की आपूर्ति करने में विफलता क्या उसके आगे के निरोध को दूषित कर देगी।

श्री मणि का तर्क भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (5) पर आधारित है, जो निम्नानुसार है :

> "22(5). जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्ति को उन आधारों का संसूचन करेगा जिन पर आदेश किया गया है तथा उसे आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान करेगा।"

यह किसी व्यक्ति के संबंध में निरोध आदेश करने वाले प्राधिकारी पर द्विविध दायित्व अधिरोपित करता है। वे हैं : (1) ऐसे व्यक्ति को उन आधारों का संसूचन करना जिन पर निरोध आदेश किया गया है तथा (2) उसे आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान करना।

निवारक निरोध से संबंधित विधि सुस्पष्ट हो चुकी है तथा सिद्धांत भली-भाँति स्थापित हैं। अनुच्छेद 22(5) में निहित संरक्षण का विस्तार केवल निरोध के आधारों तथा उनके समर्थन में सामग्री की निरुद्ध व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मौखिक व्याख्या तक ही नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिलिपियों की ऐसी लिपि अथवा भाषा में आपूर्ति किए जाने तक भी है जो निरुद्ध व्यक्ति द्वारा समझी जा सकती हो। ऐसा करने में विफलता, आधारों का संसूचित किया जाने के अधिकार तथा आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान

किया जाने के अधिकार से वंचित किए जाने के समतुल्य होगी। (देखिए, *हादीबंधु दास बनाम जिला मजिस्ट्रेट, कटक तथा एक अन्य,* [1969] 1 एस.सी.आर. 227)।

तथापि, इस न्यायालय ने ऐसे दस्तावेज के बीच, जिस पर निरोध प्राधिकारी द्वारा निरोध के आधारों में अवलंबन किया गया है, तथा ऐसे दस्तावेज के बीच, जिसका निरोध के आधारों में मात्र उल्लेख मिलता है, एक भेद बनाए रखा है। जहाँ निरोध के आधारों में अवलंबित दस्तावेज की प्रति की अनापूर्ति को निरंतर निरोध के लिए घातक अभिनिर्धारित किया गया है, वहाँ निरुद्ध व्यक्ति को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। इसका कारण यह है कि ऐसे दस्तावेज की अनापूर्ति, आधारों का संसूचित किया जाने के अधिकार तथा आदेश के विरुद्ध प्रभावी अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया जाने के अधिकार से वंचित किए जाने के समतुल्य होगी। किन्तु स्थिति ऐसी नहीं होगी जहाँ दस्तावेज का मात्र निरोध आदेश में अथवा उसके आधारों में उल्लेख मिलता हो। ऐसे वाद में, दस्तावेज की अनापूर्ति के संबंध में निरुद्ध व्यक्ति की शिकायत का समर्थन, प्रभावी अभ्यावेदन करने में उसे हुए प्रतिकूल प्रभाव द्वारा किया जाना आवश्यक है। जो किसी दस्तावेज पर लागू होता है, वही दस्तावेज की अनूदित प्रति उस भाषा में उपलब्ध कराए जाने पर भी समान रूप से लागू होगा जो निरुद्ध व्यक्ति को ज्ञात तथा उसके द्वारा समझी जाती हो, यदि दस्तावेज किसी भिन्न भाषा में हो।

चाजू राम बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य, [1970] 1 एस.सी.सी. 536 में, निरोध आदेश को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि निरुद्ध व्यक्ति को उसकी जानकारी की भाषा में उसके निरोध के आधार नहीं समझाए गए थे और इसलिए वह अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में, जो अंग्रेज़ी अथवा किसी भी भाषा को पढ़ तथा समझ नहीं सकता था, निरोध के आधार उसे यथाशीघ्र उस भाषा में समझाए जाने चाहिए जिसे वह समझता हो, ताकि वह अभ्यावेदन करने के वैधानिक अधिकार का उपयोग

कर सके। यह तर्क कि अंग्रेज़ी में दस्तावेज निरुद्ध व्यक्ति को सौंप दिया गया था और उसने उसे प्राप्त करने के संकेतस्वरूप अपना अंगुष्ठ-चिह्न अंकित कर दिया था, उस विधिक अपेक्षा का अनुपालन नहीं अभिनिर्धारित किया गया, जो निरुद्ध व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का अत्यंत मूल्यवान अधिकार प्रदान करती थी, और वह अधिकार उसे किसी अपरिचित भाषा में निरोध के आधार सौंप दिए जाने से निष्फल कर दिया गया था। उपर्युक्त निर्णय, श्री नटराजन द्वारा प्रतिपादित इस तर्क के समर्थन में प्राधिकार नहीं है कि निरोध के आधारों में अवलंबित दस्तावेज की विषयवस्तु को निरुद्ध व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में समझा देने से, निरोध प्राधिकारी ऐसे दस्तावेज का अनुवाद निरुद्ध व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उपलब्ध कराने के दायित्व से मुक्त हो जाता है।

इस न्यायालय का निर्णय, *एम.एस.टी. एल.एम.एस. उम्मू सलीमा बनाम श्री बी.बी. गुजराल तथा अन्य,* [1981] 3 एस.सी.सी. 317 भी उत्तरदाताओं की सहायता नहीं करता है क्योंकि वह वाद ऐसे दस्तावेजों तथा सामग्री की आपूर्ति से संबंधित था जिनका निरोध के आधारों में तथ्यों के वर्णन के दौरान आकस्मिक अथवा साधारण उल्लेख मिलता है, किन्तु जिन पर निरोध आदेश करने में निरोध प्राधिकारियों द्वारा अवलंबन नहीं किया गया था। हम ऊपर पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि ऐसे दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराए जाने से आदेश दूषित नहीं होगा, जब तक कि निरुद्ध व्यक्ति यह प्रदर्शित न करे कि ऐसे दस्तावेजों की अनापूर्ति के कारण प्रभावी अभ्यावेदन करने में उसे प्रतिकूल प्रभाव हुआ था।

यहाँ निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा :

प्रकाश चन्द्र मेहता बनाम केरल सरकार के आयुक्त तथा सचिव एवं अन्य, ए.आई.आर. (1986) एस.सी. 687 में, निरोध आदेश विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियों का निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अधीन पारित किया गया था। निरुद्ध व्यक्ति का परिवाद यह था कि निरोध के आधार अंग्रेज़ी में तामील किए गए थे तथा आधारों के अनुलग्नक मलयालम में थे और वह केवल गुजराती समझ सकता था; इसलिए

उसने अभिवचन किया कि उसका निरंतर निरोध विधिसम्मत नहीं था। अभिनिर्धारित किया गया कि यह अनिवार्य था कि आधार संबंधित व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संसूचित किए जाएँ ताकि वह प्रभावी अभ्यावेदन कर सके। यह इंगित किया गया कि यह अभिवचन कि वह गुजराती के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता था, मात्र निरुद्ध व्यक्ति का स्वयंकथन था तथा निरोध प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वह हिन्दी तथा अंग्रेज़ी दोनों जानता था और उसने अपने शपथपत्र में ऐसा अभिकथित किया था तथा निरुद्ध व्यक्ति केवल अंग्रेज़ी की जानकारी न होने का मिथ्या प्रदर्शन कर रहा था। उन तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि अंग्रेज़ी में तथा तत्पश्चात हिन्दी में निरोध के आधारों का संसूचन वैध था और चूँकि मलयालम में स्थित अनुलग्नकों का सार निरोध के आधारों में कथित कर दिया गया था, इसलिए निरोध दूषित नहीं हुआ था। वर्तमान वाद में, निरुद्ध व्यक्ति द्वारा अंग्रेज़ी न जानने के संबंध में निरोध प्राधिकारी का ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है। हमारे विचार में, आधारों में प्रतिप्रेषण आदेश का उल्लेख करना उस दस्तावेज का सार प्रदान करने के समतुल्य नहीं है।

मदन लाल आनंद बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. (1990) एस.सी. 176 में, निरोध आदेश को चुनौती देने के आधारों में से एक आधार दस्तावेजों की प्रतियों की अनापूर्ति था। निरोध प्राधिकारी ने एक दीवानी पुनरीक्षण याचिका में दाखिल तीन दीवानी विविध आवेदन-पत्रों पर अवलंबन किया था। विविध याचिकाओं की प्रतियाँ निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई थीं, किन्तु उस दीवानी पुनरीक्षण याचिका की प्रति, जिसमें वे विविध याचिकाएँ दाखिल की गई थीं, उपलब्ध नहीं कराई गई थी। यह अभिलक्षित किया गया कि निरोध के आधारों में दीवानी पुनरीक्षण याचिका का उल्लेख मात्र विविध आवेदन-पत्रों की पहचान करने के लिए था और उस वाद के तथ्यों तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, दस्तावेजों की प्रतियों की अनापूर्ति के कारण निरुद्ध व्यक्ति को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ था तथा आगे यह भी कि अन्य पुनरीक्षण याचिकाएँ, जिनकी प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई थीं, कारखाना परिसर

के किसी विशिष्ट पते का उल्लेख किए बिना कारखाना परिसर के स्थानांतरण के तथ्य को इंगित करने के लिए उल्लिखित की गई थीं और निरोध के आधारों में वह तथ्य आवश्यक रूप से निरोध प्राधिकारी से पुनरीक्षण याचिकाओं की प्रतियाँ उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं करता था। उन तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि दस्तावेज की अनापूर्ति से उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ था। यह वाद दस्तावेजों की उपर्युक्त द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है।

कमरुन्निस्सा बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. (1991) एस.सी. 1640 भी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम की धारा 3 के अधीन उत्पन्न एक वाद था। वहाँ वे दस्तावेज, जो निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, निरोध के आधारों में मात्र उल्लिखित थे तथा आत्मनिष्ठ संतुष्टि तक पहुँचने के समय निरोध प्राधिकारी द्वारा उन पर अवलंबन नहीं किया गया था। न्यायालय का यह अभिलक्षण कि मात्र यह कथन कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे, पर्याप्त नहीं था तथा यह कि निरुद्ध व्यक्ति को यह प्रदर्शित करना होगा कि दस्तावेजों की अनापूर्ति ने अभ्यावेदन करने के उसके अधिकार को प्रभावित किया है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए समझा जाना चाहिए कि वहाँ वे दस्तावेज निरोध के आधारों में मात्र उल्लिखित थे किन्तु आत्मनिष्ठ संतुष्टि तक पहुँचने के लिए निरोध प्राधिकारी द्वारा उन पर अवलंबन नहीं किया गया था।

इस वाद के तथ्यों की ओर आते हुए, अपीलकर्ता ने प्रतिप्रेषण आदेश की प्रति के तमिल संस्करण की आपूर्ति के लिए एक अभ्यावेदन किया है तथा विशेष रूप से कथित किया है कि निरुद्ध व्यक्ति अंग्रेज़ी भाषा को समझ नहीं सकती थी। निर्विवाद रूप से, प्रतिप्रेषण आदेश का तमिल संस्करण उसे उपलब्ध नहीं कराया गया था। आधारों के अवलोकन से यह प्रदर्शित होता है कि आत्मनिष्ठ संतुष्टि तक पहुँचने के लिए द्वितीय उत्तरदाता द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश पर अवलंबन किया गया था, अतः प्रतिप्रेषण आदेश के तमिल संस्करण की अनापूर्ति के कारण उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव हुआ था, यह निरुद्ध व्यक्ति को

प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित करने में उच्च न्यायालय सही नहीं है कि प्रतिप्रेषण आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराए जाने से किसी भी प्रकार से निरुद्ध व्यक्ति को प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

उपर्युक्त कारणों से, हमारे विचार में, तथ्यों तथा परिस्थितियों में अंग्रेज़ी दस्तावेज के तमिल संस्करण की अनापूर्ति उसके निरंतर निरोध को अवैध बना देती है। अतः, हम निदेश देते हैं कि निरुद्ध व्यक्ति को तत्काल मुक्त किया जाए, यदि उसे किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना अपेक्षित न हो। तदनुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है।

न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा। निरोध आदेश को चुनौती देने हेतु उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि जब निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश तथा निरोध के आधार तामील किए गए, तब उसे प्रतिप्रेषण आदेश का तमिल अनुवाद उपलब्ध नहीं कराया गया था। यह विवादित नहीं है कि निरुद्ध व्यक्ति को आदेश, आधारों तथा दस्तावेजों का तमिल अनुवाद उपलब्ध कराया गया था। तथापि, परिवाद यह है कि उसे प्रतिप्रेषण आदेश का तमिल अनुवाद उपलब्ध नहीं कराया गया था।

निरुद्ध व्यक्ति को 5 अप्रैल, 1998 को तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम, 1937 की धारा 4(1)(i) तथा धारा 4(1-ए) के अधीन गिरफ्तार किया गया था। उसे उसी दिन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा 17 अप्रैल, 1998 तक प्रतिप्रेषित किया गया। निरोध के आधारों में घटनाओं के वर्णन में यह कथित है कि निरुद्ध व्यक्ति "5.4.98 को उसी दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुकलुकुन्द्रम के समक्ष प्रतिप्रेषण हेतु प्रस्तुत की गई थी तथा उसे 17.4.98 तक प्रतिप्रेषित किए जाने का आदेश दिया गया था और उसे महिला विशेष कारागार, वेल्लोर में रखा गया था।"निरोध प्राधिकारी तत्पश्चात आधारों में उल्लेख करता है : "मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि तिरुमति लक्ष्मी प्रतिप्रेषण में है तथा न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल करके उसके द्वारा तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम, 1937 की धारा 4(1)(i) तथा 4(1-ए) के अधीन अपराध के लिए जमानत पर मुक्त होने की आसन्न संभावना है। मैं

इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि समान वादों में अभियुक्तों को कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उसी न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जाता है और यदि वह जमानत पर मुक्त हो जाती है, तो वह भविष्य में भी ऐसी आगे की गतिविधियों में संलग्न होगी जो लोक स्वास्थ्य तथा लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल होंगी।" यह केवल यह प्रदर्शित करता है कि निरोध प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत था कि निरुद्ध व्यक्ति प्रतिप्रेषण पर थी तथा उसके जमानत पर मुक्त किए जाने की संभावना थी और ऐसे वादों में न्यायालयों द्वारा सामान्यतः जमानत प्रदान की जाती थी तथा जमानत पर मुक्त किए जाने पर उसके द्वारा प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न होने की संभावना थी। यह स्थिति नहीं है कि तमिलनाडु अवैध मद्य-व्यापारियों, मादक द्रव्य-अपराधियों, गुंडों, वन-अपराधियों, अनैतिक व्यापार-अपराधियों तथा झुग्गी-अतिक्रमणकारियों की संकटापन्न गतिविधियों का निवारण अधिनियम, 1982 (अधिनियम 14, 1982) के प्रावधानों के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के निरोध आदेश का आधार प्रतिप्रेषण आदेश था। किसी भी स्थिति में, प्रतिप्रेषण आदेश को आधारों में पुनरुत्पादित किया गया था, जिन्हें निर्विवाद रूप से निरुद्ध व्यक्ति को तमिल में उपलब्ध कराया गया था तथा उसे समझाया भी गया था। प्रतिप्रेषण आदेश स्वयं निम्नानुसार है :

> "अभियुक्त प्रस्तुत की गई। पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं। 17.4.98 तक प्रतिप्रेषित किया जाता है।"

सूचना जारी किए जाने पर, निरोध प्राधिकारी द्वारा प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया है। निरुद्ध व्यक्ति द्वारा उठाई गई इस आपत्ति के संदर्भ में कि उसे प्रतिप्रेषण आदेश का तमिल संस्करण उपलब्ध नहीं कराया गया था, निरोध प्राधिकारी ने निम्नानुसार उत्तर दिया है :

> "यह दस्तावेज (प्रतिप्रेषण आदेश) निरुद्ध व्यक्ति को तमिल में समझाया गया है तथा इस आशय का एक पृष्ठांकन है कि उसे यह समझाया गया है और उसने उसे समझ लिया है। अतः यह कथन करना सही नहीं है कि निरुद्ध व्यक्ति ने पृष्ठ 81 पर स्थित दस्तावेज अर्थात्

प्रतिप्रेषण आदेश की विषयवस्तु को नहीं समझा है। आगे विनम्रतापूर्वक निवेदित है कि सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को प्रतिप्रेषण के समय विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब विद्वान मजिस्ट्रेट केवल तमिल में प्रश्न पूछता है, जो तमिलनाडु सरकार की राजभाषा है। तत्पश्चात विद्वान मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को प्रतिप्रेषित करेगा तथा अपने समक्ष प्रतिप्रेषित व्यक्ति को प्रतिप्रेषण की तिथि की सूचना देगा। मैं आगे विनम्रतापूर्वक निवेदित करता हूँ कि प्रतिप्रेषण आदेश में स्वयं "पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं" यह अभिकथन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि यह विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट का स्वयं का कथन नहीं है। विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट ने निरुद्ध व्यक्ति से तमिल में यह प्रश्न किया था कि क्या उस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर प्रतिप्रेषण आदेश में अभिलिखित किया गया है। उस उत्तर को प्रतिप्रेषण आदेश में ही "दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं" के रूप में समाविष्ट किया गया है। अतः प्रतिप्रेषण आदेश में विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट का उपर्युक्त पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित तथा सिद्ध करेगा कि प्रतिप्रेषण के समय विचारण न्यायालय के समक्ष की कार्यवाही को निरुद्ध व्यक्ति ने समझा था तथा उसने उसे भी समझ लिया था। अतः निरुद्ध व्यक्ति को तमिल भाषा में प्रतिप्रेषण आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराए जाने से प्रभावी अभ्यावेदन करने में निरुद्ध व्यक्ति को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। आगे विनम्रतापूर्वक निवेदित है कि निरुद्ध व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से सलाहकार बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुई थी। सलाहकार बोर्ड के समक्ष दिए गए दिनांक 18.5.98 के अभ्यावेदन में उसने यह कथित नहीं किया कि उसने दस्तावेजों की विषयवस्तु, अर्थात् दिनांक 5.4.98 के प्रतिप्रेषण

आदेश को नहीं समझा था। उसने माननीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष भी कोई परिवाद नहीं किया था। अतः यह उपधारित किया जाना चाहिए कि वह भली-भाँति जानती थी कि उसे 17.4.98 तक प्रतिप्रेषित किया गया था तथा प्रतिप्रेषण के समय उसने पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी। अतः प्रतिप्रेषण आदेश की प्रति तमिल में उपलब्ध नहीं कराए जाने से निरुद्ध व्यक्ति को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।"

निरोध प्राधिकारी द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र के प्रति कोई प्रत्युत्तर-शपथपत्र दाखिल करना निरुद्ध व्यक्ति ने नहीं चुना, यद्यपि उसे अवसर प्रदान किया गया था। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि निरुद्ध व्यक्ति को प्रतिप्रेषण आदेश की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं था तथा प्रतिप्रेषण आदेश के तमिल अनुवाद की अनापूर्ति के कारण निरुद्ध व्यक्ति को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। जैसा कि निरोध प्राधिकारी द्वारा सही रूप से इंगित किया गया है कि न केवल प्रतिप्रेषण आदेश, जिसका आधारों में उल्लेख मिलता है, निरुद्ध व्यक्ति को तमिल में दिए गए आधारों में सम्मिलित था, बल्कि मजिस्ट्रेट ने निरुद्ध व्यक्ति को उसे प्रतिप्रेषित किए जाने के आदेश की भी सूचना दी थी। यह अभिलक्षित किया जा सकता है कि आधारों में यह वर्णित है कि इससे पूर्व चार भिन्न अवसरों पर निरुद्ध व्यक्ति को तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम, 1937 की धारा 4(1)(i) तथा 4(1)(बी) के अधीन दोषसिद्ध किया जा चुका था।

प्रकाश चन्द्र मेहता बनाम केरल सरकार के आयुक्त तथा सचिव एवं अन्य, [1985] अनुपूरक एस.सी.सी. 144 में, जबकि निरोध के आधारों का हिन्दी अनुवाद निरुद्ध व्यक्ति को तामील किया गया था, छह अनुलग्नक थे जो निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध कराए गए थे तथा मलयालम में थे। निरुद्ध व्यक्ति मलयालम भाषा नहीं जानता था। अतः, यह तर्क किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था क्योंकि आधार निरुद्ध व्यक्ति को उसके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संसूचित नहीं किए गए थे। न्यायालय ने कहा :

"संविधान अपेक्षा करता है कि आधार संसूचित किए जाने चाहिए। अतः, यह एक अनिवार्यता के रूप में अनुसरण करना चाहिए कि आधार संबंधित व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संसूचित किए जाने चाहिए ताकि वह प्रभावी अभ्यावेदन कर सके।"न्यायालय ने आगे कहा कि यह एक हितकर सिद्धांत है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि "विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्राधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करते समय सामान्य बुद्धि को शीत भंडारण में रख दिया जाना चाहिए, यद्यपि इन संवैधानिक प्रावधानों का कठोर निर्वचन किया जाना चाहिए।" निरुद्ध व्यक्ति की ओर से निरोध को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में यह तर्क किया गया था कि निरुद्ध व्यक्ति अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी अथवा मलयालम नहीं समझता था तथा वह केवल गुजराती भाषा समझता था। इस न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया तथा अभिलक्षित किया कि मलयालम भाषा में दिए गए अनुलग्नकों का सार आधारों में कथित किया गया था। निरोध प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि निरुद्ध व्यक्ति हिन्दी तथा अंग्रेज़ी दोनों जानता था। न्यायालय ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन निरोध के विरुद्ध आक्षेप के अन्य आधारों को भी अस्वीकार कर दिया। मैं निर्णय में निम्नलिखित अभिलक्षणों को उद्धृत करने के लिए प्रेरित हूँ (देखिए, कंडिका 82 तथा 83) :

> "निवारक निरोध, दंडात्मक निरोध से भिन्न है, जो किए गए अपकृत्य के लिए दंडित करने हेतु होता है; यह अपकृत्य किए जाने को रोककर समाज की रक्षा करने हेतु होता है। यद्यपि ऐसी शक्तियों का प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोगों को प्रत्याभूत मूल अधिकारों का ह्रास न हो, तथापि प्रक्रियात्मक संरक्षणों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, फिर भी इनका अवलोकन व्यावहारिक तथा सामान्य-बुद्धि के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। निवारक निरोध की शक्ति का प्रयोग प्रदत्त

संरक्षणों की सीमाओं के भीतर कठोरता से किया जाना चाहिए। हमारा शासन संविधान द्वारा संचालित है तथा हमारा संविधान शासन की एक विशिष्ट दर्शन-पद्धति और जीवन-पद्धति को समाहित करता है तथा उसके लिए आवश्यक रूप से उन व्यक्तियों के बीच समझ की अपेक्षा होती है जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं और वे लोग जिन पर अथवा जिनके संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सरकार द्वारा ऐसी सभी शक्तियों के प्रयोग का उद्देश्य सामान्य कल्याण को प्रोत्साहित करना होना चाहिए तथा सामान्य हित की पूर्ति करना होना चाहिए। अतः, जहाँ तक व्यवहार्य हो, ऐसे वैयक्तिक अधिकारों का संरक्षण करना आवश्यक है जो समाज की सुरक्षा तथा कल्याण के साथ असंगत नहीं हैं। शक्ति का प्रदान किया जाना, शक्ति के प्रयोग पर परिसीमा अधिरोपित करता है। विभिन्न प्रक्रियात्मक संरक्षण हैं और हमें उनका उचित परिप्रेक्ष्य में तथा व्यावहारिक सामान्य-बुद्धि के दृष्टिकोण से निर्वचन करना चाहिए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्ति के संरक्षण हेतु प्रक्रियात्मक संरक्षणों के संबंध में लिखित विधि का अनुपालन सामान्यतः लोक अधिकारी का उच्च कर्तव्य है, किन्तु सभी परिस्थितियों में सर्वोच्च नहीं। आत्म-संरक्षण तथा देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की विधि कुछ परिस्थितियों में उच्चतर प्राथमिकता का दावा कर सकती है।

83. जैसा कि थॉमस जेफरसन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, 'लिखित विधि के प्रति अत्यधिक निष्ठापूर्ण अनुपालन के कारण अपने देश को खो देना, स्वयं विधि को, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति तथा उन सभी व्यक्तियों को, जो हमारे साथ उनका उपभोग कर रहे हैं, खो देने के समान होगा; इस प्रकार साधन के लिए उद्देश्य का असंगत रूप से बलिदान करना होगा'

(*थॉमस जेफरसन, राइटिंग्स (वाशिंगटन संस्करण) वी 542-545* तथा *लुई फिशर 47 द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन फ्रेंड्स*)। उपर्युक्त दृष्टिकोण द्वारा न्याय तथा शक्ति दोनों को एक साथ लाया जा सकता है और जो कुछ न्यायसंगत हो वह शक्तिशाली हो सकता है तथा जो कुछ शक्तिशाली हो वह न्यायसंगत हो सकता है।"

उपर्युक्त विषय-दृष्टि में, मैं अपने विद्वान भ्राता न्यायमूर्ति कादरी द्वारा ग्रहण किए गए इस दृष्टिकोण से स्वयं को सहमत करने में असमर्थ पाता हूँ कि निरुद्ध व्यक्ति का निरोध शून्य है तथा उसे अभिखंडित किया जाना चाहिए। प्रक्रियात्मक संरक्षणों का अनुपालन किया गया है। अतः, मैं अपील को निरस्त करूँगा।

बहुमत के निर्णय के दृष्टिगत, अपील अनुज्ञात की जाती है।

वी.एस.एस. अपील अनुज्ञात।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।